

## न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

10/2026

मोहम्मद शाहबाज हुसैन (एडवोकेट) निवासी जिला न्यायालय परिसर टोंक राज.

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 09.04.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 1135 दिनांक 26.11.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू. अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट भू.अ. टोंक पत्रांक 3559 दिनांक 22.09.2020 (पत्रांक 1842 दिनांक 30.03.2020) की पालना में तहसीलदार भू.अ. टोंक द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना एक-एक प्रति में उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 168 दिनांक 30.01.2026, 307 दिनांक 18.02.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 05.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 7202 दिनांक 11.12.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए क्रमांक 7203-04 दिनांक 11.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 412 दिनांक 09.03.2026, 531 दिनांक 18.03.2026 व 658 दिनांक 01.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने पत्र क्रमांक 2295 दिनांक 25.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में पत्रावली का स्पष्ट विवरण नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है इस संबंध में उनके पत्र क्रमांक 2292 दिनांक 29.03.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(टीना डाबी)

प्रथम अपील अधिकारी  
एवं जिला कलेक्टर टोंक

